

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रं./शि.क./संवि./बी/139/2010/253

भोपाल, दिनांक 26/5/11

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री लोकेश कुमार जैन (निःशक्त) वरि. अ. (गणित) शा.उ.मा.वि. नईसराय जिला अशोकनगर	AC3790	234607777 03	जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र.2468 दि.01.05.10	नगर पालिका परिषद बीना इटावा जिला-सागर जा.क्र. 86 दि.28.4.10 शा.उ.मा.वि. क-2 बीना	231199666 03
2	श्रीमती अल्का कुशवाह वरि. अ. (अंग्रेजी) शा. उ.मा.वि बिरुल बाजार जिला बैतूल	AF1708	233509777 05	जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल जा.क.6189 दि.12.08.10	जिला पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क.8865दि. 02.11.10 शा.उ.मा.वि. भवनपुरा	230304777 05
3	श्रीमती आशिमा श्रीवास्तव वरि. अ. (रसायन) शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. बिरसा जिला बालाघाट	BK3774	234510999 02	नगर पालिका परिषद मलांजखण्ड जिला बालाघाट जा.क्र.888 दि. 25.04.10	नगर पंचायत बड़कुही जिला छिन्दवाड़ा जा.क्र. 101दि.09.05.11 शा.बा.उ.मा.वि.बड़कुही	234303777 06
4	श्रीमती कामना सिंह वरि.अ. (रसायन) शा.उ.मा.वि. महसांव जिला रीवा	AV3956	231401777 13	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.1565दि. 02.08.10	नगरपालिका परिषद बीना इटावा जिला सागर जा.क्र.595दि 28.7.10 शा.उ.मा.वि. बीना क्रं.-2	231199666 03
5	श्रीमती वाणी मिश्रा वरि.अ. (अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि. जराह मोहगांव जिला बालाघाट	AG5027	234503777 05	जिला पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट जा.क्र.6905दि 20.08.10	जिला पंचायत छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.384दि 11.05.11 शा.उ.मा.वि. खजरी	234301777 13

संविलियन की शर्त :-

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।



3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।


“ आयुक्त द्वारा अनुमोदित ”


उप संचालक 26/5/11

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 26/5/11

पृष्ठा.क्रं./शि.क./बी/संवि./139/2010/254
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक 26/5/11
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रं./शि.क./संवि./ए/23/2011/255

भोपाल, दिनांक 26/5/11

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग एवं पारस्परिक आधार पर अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	वर्तमान में कार्यरत निकाय	निकाय का नाम जिसमें संविलियन की अनुमति दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती ऋचा शर्मा वरि.अ. (अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि. जामनेर जिला गुना	AK5838	230709777 06	जिला पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र.896दि. 03.03.11	जिला पंचायत रायसेन जिला रायसेन जा.क्र.978दि 15.02.11 शा.क.उ.मा.वि. गौहरगंज	233404666 01
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार पाठक (निःशक्त) वरि.अ.(रसायन शास्त्र) शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. नरवर जिला शिवपुरी	BB3861	230608777 01	नगर पंचायत नरवर जिला शिवपुरी जा.क्र.1255दि. 09.12.10	नगरपालिका परिषद डबरा जिला ग्वालियर जा.क्र.6179दि 22.12.10 शा.क.उ.मा.वि. डबरा	230401777 04
3	श्रीमती रेणुका श्रीवास्तव वरि.अ. (भौतिक) शा.उ.मा.वि. महागढ़ जिला नीमच	AS6582	231805777 06	जिला पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र.10781दि.07.10.10	जिला पंचायत गुना जिला गुना जा.क्र.54दि 04.01.11 शा.उ.मा.वि. बरखेड़ाहाट	230701666 02
4	श्री अमरकान्त पाराशर (निःशक्त) वरि.अ. (गणित) शा.मालव उ.मा.वि. सेहराई जिला अशोकनगर	AC4463	234608777 04	जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र.10185दि.08.03.11	नगर पंचायत कैलारस जिला मुरैना जा.क्र.641 दि.01.02.11 शा.बा.उ.मा.वि. कैलारस	230210777 01
5	श्रीमती आभा सिंह वरि.अ. (इतिहास) शा.उ.मा.वि. नादन जिला सतना	AV8886	231302777 02	जिला पंचायत सतना जिला सतना जा.क्र.2311दि.23.11.10	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.4000दि.10.01.11 शा.उ.मा.वि. अगडाल	231401777 18
6	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा (निःशक्त) वरि. अ. (रसायन) शा.बा.उ.मा.वि. बुड़वा जिला शहडोल	BI2305	231602777 04	जिला पंचायत शहडोल जिला शहडोल जा.क्र.6967दि 22.09.10	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.3889 दि.23.12.10 शा.उ.मा.वि. अगडाल	231401777 18



7	श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी (निःशक्त) वरि. अ. (रसायन) शा.उ.मा.शा. सनाई जिला सागर	AY4832	231107777 07	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र.2096 दि.15.12.10	नगर पंचायत बरही जिला कटनी जा.क्र.2119 दि.28.12.10 शा.बा.उ.मा.वि. बरही	233803777 07
8	श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी (निःशक्त) वरि. अ. (जीव विज्ञान) शा.बा.उ.मा.शा. बुड़वा जिला शहडोल	BI2307	231602777 04	जिला पंचायत शहडोल जिला शहडोल जा.क्र.6968 दि.22.09.10	जिला पंचायत रीवा जिला रीवा जा.क्र.3890 दि.23.12.10 शा.उ.मा.वि. अगडाल	231401777 18
9	श्रीमती लीना खोडे (कालमेघ) वरि. अ. (हिन्दी) शा.बा.उ.मा.वि. चिचोली जिला बैतूल	AE7655	233506999 01	जिला पंचायत बैतूल जिला बैतूल जा.क्र.5564 दि.16.08.10	जिला पंचायत छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.1243 दि.24.09.10 शा.उ.मा.वि. सावरी बाजार शा.उ.मा.वि. अतरवाड़ा	234302777 05

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। पदांकन आदेश जारी नहीं होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


उप संचालक
जिला शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रं./शि.क./ए/संवि./23/2010/256
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 26/5/11

1. निज सचिव, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


26/5/11
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश